



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK



एचआरओ/एचआरओ/डीओसी/2025/00136
12 अगस्त, 2025

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: स्क्रेप वस्तुओं के निपटान के लिए कोटेशन

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अपने कार्यालय, चौथी मंजिल, टीएसएचसीएल बिल्डिंग, उर्दू गली, स्ट्रीट नंबर 17, हिमायत नगर, हैदराबाद - 500029, तेलंगाना में उपलब्ध स्क्रेप वस्तुओं के निपटान के लिए व्यापार "स्क्रेप" के तहत आरबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के सूचीबद्ध विक्रेताओं से सीलबंद प्रतिस्पर्धी उद्धरण आमंत्रित करता है :-

क्र. सं.	सामान	मात्रा	राशि रुपये में उद्धृत की जानी है।*	राशि शब्दों में उद्धृत की जानी है
1	सभी आइटम अनुलग्नक I के अनुसार	अनुलग्नक I के अनुसार		
	कुल (जीएसटी को छोड़कर)			

*उद्धृत राशि में जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त स्क्रेप सामग्री निष्प्रयोज्य स्थिति में पड़ी हुई है और एनएचबी को पूर्व सूचना देकर 12/08/2025 से 27/08/2025 की अवधि के दौरान बैंक के कार्य समय के दौरान 10:00 बजे से 17:00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुली रखी गई है।

नियम और शर्तें

1. इन वस्तुओं का निपटान यथावत किया जा रहा है, जहां आधार केवल स्क्रेप के रूप में है
2. उपरोक्त वस्तुओं के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य 3,250/- रुपये (तीन हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) है। अनुलग्नक I में प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग उद्धरण बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए।
3. सूची में दी गई सभी वस्तुओं के लिए कोटेशन प्रस्तुत करना होगा। अलग-अलग वस्तुओं के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं है। यदि बोलीदाता अनुलग्नक I में दी गई सभी वस्तुओं के लिए अलग-अलग कोटेशन प्रस्तुत नहीं करता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
4. उचित रूप से सील न किए गए कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे बिना किसी सहारे के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. विक्रेता को निरीक्षण के दौरान स्वयं संतुष्ट होना चाहिए तथा यदि उन्हें कोई टिप्पणी हो तो वे बैंक के संबंधित अधिकारी से उसका सत्यापन/स्पष्टीकरण करवा सकते हैं।
6. एक बार माल की डिलीवरी विक्रेता को सौंप दी जाती है तो बैंक किसी भी शिकायत के लिए बाध्य नहीं है।

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
चतुर्थ तल, एपीएसएचसीएल बिल्डिंग, गली नं. 17,
हिमायत नगर, हैदराबाद-500029
दूरभाष : 040-2326 4079
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई-मेल : rohdyd@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India

4th Floor, APSHCL Building, Street No. 17,
Himayat Nagar, Hyderabad-500029
Phone : 040-2326 4079

Website : www.nhb.org.in E-mail : rohdyd@nhb.org.in

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

7. यदि उपयुक्त पाया गया तो बैंक उच्चतम बोली स्वीकार करने पर विचार करेगा। इन वस्तुओं के संचालन/स्थिति के लिए बैंक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता।
8. विक्रेता को बैंक द्वारा स्वीकृति की तिथि से 3 दिनों के भीतर लागू जीएसटी के साथ पूरी बोली राशि जमा करनी होगी।
9. बोली राशि प्राप्त होने और एनएचबी परिसर से सामान हटाने के बाद, एनएचबी विक्रेता को जीएसटी बिल प्रदान करेगा।
10. उपरोक्त प्रारूप में सीलबंद कोटेशन " राष्ट्रीय आवास बैंक, चतुर्थ तल, टीएसएचसीएल बिल्डिंग, उर्दू गली, गली संख्या 17, हिमायत नगर, हैदराबाद - 500029, तेलंगाना " को संबोधित और " स्क्रेप वस्तुओं के निपटान हेतु कोटेशन " लिखकर 28/08/2025 को सुबह 11:00 बजे से पहले पहुँच जाने चाहिए। कोटेशन 28/08/2025 को दोपहर 3:30 बजे बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले जाएँगे। बोलीदाता चाहें तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
11. सफल बोलीदाता को बैंक द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र की तिथि से चार दिनों के भीतर फिक्स्चर सहित सभी सामान हटाना होगा। इस सामान को हटाने और परिवहन का खर्च केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक परिवहन के लिए किसी भी सरकारी/वैधानिक निकाय से अनुमति प्राप्त करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।
12. बोली के विजेता को उपर्युक्त परिसर में हुई क्षति की भरपाई करनी होगी, जो वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया के दौरान हो सकती है।
13. आरबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के व्यापार "स्क्रेप" के अंतर्गत सूचीबद्ध विक्रेता ही इस कोटेशन में भाग लेने के पात्र हैं और किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बोलीदाता को आरबीआई के साथ अपने पैनल में शामिल होने के समर्थन में अनुलग्नक II में उल्लिखित विधिवत भरा हुआ वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा। कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि तक पैनल में शामिल होना वैध होना चाहिए। यदि यह वचनपत्र नहीं दिया जाता है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
14. चयनित विक्रेता को अनुलग्नक III में उल्लिखित अनुसार एनएचबी के साथ सेवा स्तर समझौता निष्पादित करना होगा।

आपका विश्वासी,

सोनिया भल्ला

(क्षेत्रीय प्रबंधक- हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय)

एनएचबी, हैदराबाद

sonia.bhalla@nhb.org.in ; Chandra.p@nhb.org.in

011-39187271

बोलीदाता द्वारा घोषणा (बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत की जानी है): -

उप महाप्रबंधक,
हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक
चौथी मंजिल, टीएसएचसीएल बिल्डिंग, उर्दू गली,
गली नंबर 17, हिमायत नगर,
हैदराबाद - 500029, तेलंगाना

प्रिय महोदय,

मैं उपरोक्त बोली के लिए आवेदन करना चाहता हूँ और मैं उपरोक्त नियम व शर्तों से सहमत हूँ।

बोली जीतने की स्थिति में, मैं बैंक द्वारा इस संबंध में भेजे गए संचार की तारीख से चार दिनों के भीतर फिक्सचर सहित सभी वस्तुओं को अपने खर्च पर खाली कराने की व्यवस्था करूँगा।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त परिसर में फर्नीचर और फिक्सचर को हटाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली क्षति की भरपाई करूँगा/करूँगी।

बोलीदाता का नाम:

हस्ताक्षर: -

अनुलग्नक I:

एसएनओ	परिसंपत्ति विवरण	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)	उद्धृत मूल्य INR* में
1.	कार्यालय कुर्सी 7001-सम्मेलन और आगंतुक (मात्रा में 14)	रु. 700/- (14 कुर्सियों के लिए)	
2.	प्रमुख कुर्सियाँ (7000) - अधिकारी (मात्रा में 2)	रु. 100/- (2 कुर्सियों के लिए)	
3.	साधारण कुर्सियाँ (मात्रा में 3)	रु. 150/- (3 कुर्सियों के लिए)	
4.	वोल्टास 1.5 टन विंडो एसी	रु.250/-	
5.	वोल्टास 1.5 टन स्प्लिट एसी	रु.500/-	
6.	वोल्टास 1.5 टन स्प्लिट एसी	रु.500/-	
7.	स्टेबलाइजर - 4 केवीए 170-260 वोल्ट	रु. 50/-	
8.	स्टेबलाइजर - 4 केवीए 170-260 वोल्ट	रु. 50/-	
9.	स्टेबलाइजर - 4 केवीए 170-260 वोल्ट	रु. 50/-	
10.	16 पोर्ट हब	रु. 25/-	
11.	इन्वर्टर	रु. 50/-	
12.	इन्वर्टर	रु. 50/-	
13.	एकागार्ड इनोवा (मात्रा में 2)	रु. 100/- (2 एका गार्ड के लिए)	
14.	डिजिटल कैमरा (निकॉन कूलपिक्स L120)	रु. 50/-	
15.	कियोस्क (मॉडल संख्या F - 12-D) सहायक उपकरण के साथ	रु. 100/-	
16.	फोटोकॉपीयर कोनिका मिनोल्टा (हैदराबाद)	रु. 50/-	
17.	फैक्स मशीन मॉडल 2820	रु. 25/-	
18.	प्रिंटर HP LJ 1320	रु. 50/-	
19.	प्रिंटर HP LJ 1320	रु. 50/-	
20.	HP LASERJET PRO 8600 PLUS (प्रिंटर सह स्कैनर) केयर पैक के साथ	रु. 50/-	
21.	HP DX-7380 मॉनिटर के साथ	रु. 50/-	
22.	HP DX-7380 मॉनिटर के साथ	रु. 50/-	
23.	HP Pro 3330 MT Intel Core I5-QT035AV-INA223VWW6 मॉनिटर के साथ	रु. 50/-	

एसएनओ	परिसंपत्ति विवरण	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)	उद्धृत मूल्य INR* में
24.	सोनी लैपटॉप	रु. 50/-	
25.	सैमसंग पॉलीकॉम	रु. 100/-	
	कुल आरक्षित मूल्य	रु. 3250/-	

* जीएसटी को छोड़कर

पैनल में शामिल करने का उपक्रम
(बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

<दिनांक>

उप महाप्रबंधक,
हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक
चौथी मंजिल, टीएसएचसीएल बिल्डिंग, उर्दू गली,
गली नंबर 17, हिमायत नगर,
हैदराबाद - 500029, तेलंगाना

प्रिय महोदय,

हम पुष्टि करते हैं कि हम निम्नलिखित श्रेणी में आरबीआई, हैदराबाद के ठेकेदार हैं:

..... यह पैनल कोटेशन की अंतिम तिथि तक वैध है और हम कोटेशन में उल्लिखित सेवाओं के दायरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।

इस संबंध में आरबीआई, हैदराबाद द्वारा जारी व्यापार "स्क्रेप" के अंतर्गत पैनलबद्धता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति इसके साथ संलग्न है।

ईमानदारी से,
<हस्ताक्षर><कंपनी की मुहर>

नाम:

पद का नाम:

कंपनी का नाम और पता:

(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है)
सेवा स्तर समझौता

समझौता " कहा जाएगा) _____, 202_ महीने के इस _____ दिन, के बीच और द्वारा किया गया है,

राष्ट्रीय आवास बैंक, एक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित निगमित निकाय, इसका क्षेत्रीय कार्यालय चौथी मंजिल, टीएसएचसीएल बिल्डिंग, उर्दू गली, स्ट्रीट नंबर 17, हिमायत नगर, हैदराबाद - 500029, तेलंगाना में है। (जिसे इसके बाद " एनएचबी " कहा जाएगा), जिसके अंतर्गत जहां कहीं संदर्भ अनुमति देता है, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे ; और

_____, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है (जिसे इसके बाद "विक्रेता" कहा जाएगा), जिसमें जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे ।

(इसके बाद एनएचबी और विक्रेता को सामूहिक रूप से "पक्ष" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा)

जबकि

- (A) **स्क्रेप वस्तुओं के निपटान** के लिए विक्रेता को काम पर रखने का इरादा रखता है , जैसा कि प्रस्ताव संख्या _____ के लिए अनुरोध में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है (यदि कोई हो तो जारी किए गए शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण सहित) (इसके बाद सामूहिक रूप से " आरएफपी " कहा जाएगा ।
- (B) विक्रेता का चयन एनएचबी द्वारा आरएफपी जारी करने के माध्यम से सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिसके बाद बोलीदाताओं की तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार एनएचबी द्वारा विक्रेता को पुरस्कार पत्र संख्या _____ दिनांक _____ (" एलओए ") जारी किया गया है।
- (C) एलओए की शर्तों और नियमों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है ।
- (D) आरएफपी के संदर्भ में, एनएचबी और विक्रेता इस समझौते पर निम्नलिखित तरीके से हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं:

अब इसलिए दोनों पक्ष निम्नलिखित रूप से सहमत हैं:

1. सामान्य प्रावधान

1.1 परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अनुबंध में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

- (a) "लागू कानून" से तात्पर्य भारत में कानून का बल रखने वाले कानूनों और किसी भी अन्य साधनों से है, जैसा कि वे समय-समय पर जारी और लागू हो सकते हैं;
- (ख) "अनुबंध" या "यह अनुबंध" का अर्थ है और इस समझौते की व्याख्या की जाएगी;
- (c) आरएफपी के खंड में निर्दिष्ट प्रमुख डिलिवरेबल्स शामिल हैं।
- (घ) "प्रभावी तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन यह अनुबंध धारा 2.1 के अनुसार लागू और प्रभावी होगा ;
- (ई) "कार्मिक" से तात्पर्य विक्रेता द्वारा कर्मचारियों के रूप में नियुक्त/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों से है , जिन्हें सेवाओं या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया है।
- (च) "परियोजना" का तात्पर्य सामूहिक रूप से आरएफपी में वर्णित सेवाओं और प्रदान की जाने वाली डिलिवरेबल्स से है।
- (छ) "सेवाएं" या "कार्य का दायरा" का अर्थ है और इसमें विक्रेता द्वारा किए जाने वाले कार्य का दायरा शामिल है जैसा कि आरएफपी के नियमों और शर्तों के बिंदु संख्या 1-13 में उल्लिखित खंड में वर्णित/निर्धारित है।
- (ज) "तृतीय पक्ष" का तात्पर्य एनएचबी और विक्रेता के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था से है।

1.2 व्याख्या के सिद्धांत

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- a) सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ, जब तक कि इस अनुबंध में विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, वही होगा जो उन्हें आरएफपी में दिया गया है;
- b) ऐसे शब्द और संक्षिप्ताक्षर, जिनके सुविदित तकनीकी या व्यापारिक/वाणिज्यिक अर्थ हैं, इस अनुबंध में ऐसे अर्थों के अनुसार प्रयोग किए गए हैं;
- c) आरएफपी, एलओए , पूर्व-अनुबंध अखंडता संधि और एनडीए इसके परिशिष्टों/संलग्नकों के साथ , इस समझौते का अभिन्न अंग बनेंगे और सभी उद्देश्यों और प्रभावों के लिए एक साथ पढ़े जाएंगे।
- d) एलओए और इस अनुबंध में निहित प्रावधानों के बीच किसी भी असंगतता या विरोध के मामले में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, एनएचबी की राय ऐसी असंगतता या विरोध की सीमा तक मान्य होगी और वह विक्रेता पर बाध्यकारी होगी।

1.3 उद्देश्य

- 1.3.1 एतद्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि **विक्रेता** परियोजना के पूरा होने तक एनएचबी को आरएफपी में निर्धारित सेवाएँ प्रदान करेगा। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कबाड़ का निपटान करना है।

1.3.2 कार्य के दायरे का प्रदर्शन

विक्रेता कार्य के दायरे में निर्धारित सभी सेवाएं प्रदान करेगा तथा आरएफपी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर डिलिवरेबल्स को पूरा करेगा तथा सम्पूर्ण कार्य इस अनुबंध की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

1.3.3 अनुबंध की अवधि

कार्य के दायरे में वर्णित संपूर्ण असाइनमेंट विक्रेता द्वारा _____ से शुरू होने वाले कार्य आदेश ("अवधि") जारी करने से 3 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जब तक कि इस समझौते के अनुसार अवधि को बढ़ाया नहीं जाता है।

1.3.4 अनुबंध मूल्य

इस अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित किया जाने वाला संपूर्ण कार्य एक निश्चित मूल्य अनुबंध है और परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण कार्य के संतोषजनक निष्पादन/निष्पादन के लिए विक्रेता को कुल मूल्य रु. _____ (रुपये _____) ("अनुबंध मूल्य") का भुगतान किया जाएगा। अनुबंध मूल्य का भुगतान एनएचबी द्वारा इस अनुबंध के खंड 4.2 में सहमत भुगतान शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

1.4 पक्षों के बीच संबंध

यह अनुबंध प्रधान-से-प्रधान के आधार पर होगा और इसमें निहित किसी भी बात को एनएचबी और विक्रेता के बीच स्वामी और सेवक या प्रधान और एजेंट का संबंध स्थापित करने के रूप में नहीं समझा जाएगा। इस अनुबंध के अधीन, विक्रेता, सेवाओं के निष्पादन हेतु विक्रेता द्वारा नियोजित किए जाने वाले कार्मिकों का पूर्ण प्रभार अपने पास रखेगा और वह स्वयं या अपनी ओर से किए जाने वाले कार्यों और अपने कार्मिकों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

1.5 भाषा

यह अनुबंध अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किया गया है, जो इस अनुबंध के अर्थ या व्याख्या से संबंधित सभी मामलों के लिए बाध्यकारी और नियंत्रणकारी भाषा होगी।

1.6 शीर्षक

शीर्षक इस अनुबंध के अर्थ को सीमित, परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेंगे।

1.7 सूचनाएँ

1.7.1 इस अनुबंध के अंतर्गत दी जाने वाली या दी जाने वाली कोई भी सूचना, अनुरोध या सहमति लिखित रूप में होगी। ऐसी कोई भी सूचना, अनुरोध या सहमति उस पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से दिए जाने पर, जिसे पत्र लिखा गया है, या पंजीकृत डाक, ईमेल या फैक्स द्वारा निम्नलिखित पते पर उस पक्ष को भेजे जाने पर दी गई मानी जाएगी:

एनएचबी के लिए:

ध्यान: _____

फ़ोन नं.: _____

फैक्स:

विक्रेता के लिए :

ध्यान: _____

फ़ोन नं.: _____

फैक्स:

1.7.2 नोटिस निम्नानुसार प्रभावी माना जाएगा :

(a) व्यक्तिगत डिलीवरी के मामले में, ईमेल या पंजीकृत मेल द्वारा, डिलीवरी पर;

(ख) प्रतिकृतियों के मामले में, पुष्टि किए गए संचरण के बहतर (72) घंटे बाद।

1.7.3 कोई पक्ष इस खंड के अनुसार दूसरे पक्ष को ऐसे परिवर्तन की सूचना देकर अपना पता बदल सकता है।

1.8 स्थान

ये सेवाएं हैदराबाद में या एनएचबी द्वारा अपेक्षित/ अनुमोदित स्थान पर प्रदान की जाएंगी।

1.9 विक्रेता का अधिकार

विक्रेता एतद्वारा _____ को इस अनुबंध के तहत एनएचबी के प्रति विक्रेता के संपूर्ण अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग करने के लिए उनकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें एनएचबी से निर्देश और भुगतान प्राप्त करने के लिए पत्रों/संचार पर हस्ताक्षर करना, समझौतों का निष्पादन करना, बिना किसी सीमा के शामिल है।

1.10 कर और शुल्क

विक्रेता और उनके कर्मचारी करों का भुगतान करेंगे (जीएसटी को छोड़कर), इस समझौते की अवधि के दौरान मौजूदा, संशोधित या अधिनियमित कानूनों के तहत लगाए गए शुल्क, फीस, लेवी और अन्य अधिरोपण और एनएचबी विक्रेता को किए जाने वाले भुगतानों से ऐसे करों की कटौती के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो वैध रूप से लगाए जा सकते हैं।

2.0 अनुबंध का प्रारंभ, समापन, संशोधन और समाप्ति

2.1 अनुबंध की प्रभावशीलता

विक्रेता द्वारा पुरस्कार पत्र (एलओए) की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

2.2 सेवाओं का प्रारंभ

विक्रेता को सेवाएं तत्काल प्रदान करनी शुरू कर देनी चाहिए, अर्थात् एलओए की स्वीकृति की तिथि से , या ऐसी तिथि से जिस पर दोनों पक्ष लिखित रूप में सहमत हों।

2.3 अनुबंध की समाप्ति

जब तक कि इसे इसके खंड-2.8 के अनुसार पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता, यह अनुबंध खंड 1.3.3 में बताई गई अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अनुबंध के खंड 2.6.4 या इस अनुबंध या आरएफपी में निर्धारित किसी अन्य शर्त के अनुसार अवधि को बढ़ाया न जाए।

2.4 संपूर्ण अनुबंध

इस अनुबंध में पक्षों द्वारा सहमत सभी अनुबंध, शर्तें और प्रावधान शामिल हैं। किसी भी पक्ष के किसी भी प्रतिनिधि को इसमें उल्लिखित किसी भी कथन, प्रतिनिधित्व, वादे या समझौते को बनाने का अधिकार नहीं है, और दोनों पक्ष इसके लिए बाध्य या उत्तरदायी नहीं होंगे।

2.5 संशोधन

इस अनुबंध के नियमों और शर्तों में संशोधन, जिसमें सेवाओं/कार्य के दायरे में कोई भी संशोधन शामिल है, केवल पक्षों के बीच लिखित समझौते द्वारा किया जा सकता है और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक पक्षों की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है, हालांकि, प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा किए गए संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर उचित विचार करना होगा।

2.6 अप्रत्याशित घटना

2.6.1 परिभाषा

यदि किसी भी पक्षकार को अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध के तहत उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ होना पड़ता है, तो ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार का सापेक्ष दायित्व उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके दौरान ऐसा कारण बना रहता है।

यहां प्रयुक्त शब्द "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ ईश्वरीय कृत्य, युद्ध, नागरिक दंगे, आग, बाढ़ तथा दोनों पक्षों की संबंधित सरकारों के अधिनियम और विनियम होंगे जो अनुबंध के निष्पादन को सीधे प्रभावित करते हैं।

ऐसे किसी कारण के घटित होने और उसके समाप्त होने पर, यह दावा करने वाला पक्ष कि वह पूर्वोक्त रूप से असमर्थ हो गया है, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में, कारण की शुरुआत और कारण की समाप्ति की सूचना देगा। कारण की समाप्ति के 72 घंटों के भीतर, क्रमशः दूसरे पक्ष को सूचना देकर। यदि डिलीवरी 2 (दो) महीने से अधिक समय तक चलने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण निलंबित रहती है, तो एनएचबी के पास अपने विवेकानुसार इस अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने का विकल्प होगा, बिना किसी दायित्व के।

अप्रत्याशित घटना के कारण निलंबित सापेक्ष दायित्व के निष्पादन का समय उस अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा, जितनी अवधि तक ऐसा कारण बना रहता है।

2.6.2 अनुबंध का उल्लंघन नहीं

किसी पक्ष द्वारा इसके अंतर्गत अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता को इस अनुबंध के अंतर्गत उल्लंघन या चूक नहीं माना जाएगा, जहां तक ऐसी असमर्थता किसी अप्रत्याशित

घटना के कारण उत्पन्न होती है, बशर्ते कि ऐसी घटना से प्रभावित पक्ष ने इस अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से सभी उचित सावधानियां, उचित देखभाल और उचित वैकल्पिक उपाय किए हों।

2.6.3 उठाए जाने वाले कदम

- (क) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार, न्यूनतम विलम्ब के साथ अपने दायित्वों को पूरा करने में ऐसे पक्षकार की असमर्थता को दूर करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा।
- (ख) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार, यथाशीघ्र, अन्य पक्षकार को ऐसी घटना की सूचना देगा, तथा किसी भी स्थिति में ऐसी घटना के घटित होने के चौदह (14) दिन के बाद नहीं, ऐसी घटना की प्रकृति और कारण का साक्ष्य प्रदान करेगा, तथा इसी प्रकार यथाशीघ्र सामान्य स्थिति की बहाली की सूचना देगा।
- (ग) पक्षकार किसी भी अप्रत्याशित घटना के परिणामों को न्यूनतम करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे।

2.6.4 समय का विस्तार

इस अनुबंध के अनुसरण में, जिस अवधि के भीतर कोई पक्षकार कोई कार्रवाई या कार्य पूरा करेगा, उसे उस अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसके दौरान ऐसा पक्षकार अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप ऐसी कार्रवाई करने में असमर्थ रहा था।

2.6.5 परामर्श

किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, जब कोई पक्षकार सेवाओं के किसी भौतिक भाग को निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है, तो तीस (30) दिनों के भीतर, पक्षकार परिस्थितियों में उठाए जाने वाले उचित उपायों पर सहमत होने के लिए एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

2.7 निलंबन

एनएचबी विक्रेता को निलंबन की लिखित सूचना देकर, यदि एनएचबी विक्रेता के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है या यदि विक्रेता इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, जिसमें सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है, तो विक्रेता को सभी भुगतान निलंबित कर सकता है, बशर्ते कि निलंबन की ऐसी सूचना (i) विफलता की प्रकृति को निर्दिष्ट करेगी, और (ii) विक्रेता को निलंबन की ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद तीस (30) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर ऐसी विफलता के लिए उपाय प्रदान करने का अनुरोध करेगी और अनुबंध प्रदर्शन गारंटी का आह्वान करेगी।

2.8 समाप्ति

2.8.1 एनएचबी द्वारा

एनएचबी विक्रेता को समाप्ति की कम से कम पंद्रह (15) कैलेंडर दिनों की लिखित सूचना दे सकता है, (नीचे पैराग्राफ (जी) में सूचीबद्ध घटना को छोड़कर, जिसके लिए कम से कम साठ (60) दिनों की लिखित सूचना होगी) ऐसा नोटिस इस खंड-2.8.1 के पैराग्राफ (ए) से (एफ) में

निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने के बाद दिया जाएगा, इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है:

- (क) यदि विक्रेता अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता को ठीक करने में विफल रहता है, जैसा कि ऊपर खंड-2.7 के अनुसार निलंबन की सूचना में निर्दिष्ट है, तीस (30) दिनों के भीतर निलंबन की ऐसी सूचना प्राप्त होने के दिन या एनएचबी द्वारा बाद में लिखित रूप में अनुमोदित ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर ;
- (b) यदि विक्रेता दिवालिया या दिवालिया हो जाता है या ऋण से राहत के लिए अपने लेनदारों के साथ समझौता करता है या देनदारों के लाभ के लिए किसी कानून का अग्रिम लेता है या अनिवार्य या स्वैच्छिक परिसमापन रिसीवरशिप में चला जाता है;
- (c) यदि विक्रेता धारा-8 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी अंतिम निर्णय/पारिणाम का अनुपालन करने में विफल रहता है ;
- (d) यदि विक्रेता एनएचबी को कोई ऐसा कथन प्रस्तुत करता है जिसका एनएचबी के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर भौतिक प्रभाव पड़ता है और जिसके बारे में विक्रेता को पता है कि वह झूठा है;
- (e) यदि, अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप , विक्रेता कम से कम साठ (60) दिनों की अवधि के लिए सेवाओं के किसी भौतिक भाग को निष्पादित करने में असमर्थ है; या
- (f) यदि एनएचबी के संज्ञान में यह बात आती है कि बोली दस्तावेजों में या बाद के पत्राचार में विक्रेता द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन और/या वारंटी झूठे पाए जाते हैं और/या विक्रेता/उसके कार्मिक किसी धोखाधड़ी या आपराधिक कृत्य में शामिल पाए जाते हैं;
- (g) यदि एनएचबी अपने विवेकानुसार तथा किसी भी कारण से इस अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लेता है।

2.8.2 अधिकारों और दायित्वों की समाप्ति

इस अनुबंध के खंड 2.8.1 के अनुसार समाप्ति पर या इस अनुबंध के खंड 2.3 के अनुसार समाप्ति पर, इसके अंतर्गत पक्षों के सभी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे, सिवाय:

- (a) ऐसे अधिकार और दायित्व जो समाप्ति या समाप्ति की तिथि पर अर्जित हुए हों,
- (b) इसके खंड-3.7 में निर्धारित गोपनीयता का दायित्व,
- (ग) कोई भी अधिकार जो किसी पक्ष को लागू कानून की धारा के तहत प्राप्त हो सकता है।

2.8.3 सेवाओं की समाप्ति

इसके खंड-2.8.1 के अनुसार नोटिस द्वारा इस अनुबंध की समाप्ति पर, विक्रेता, ऐसी सूचना के प्रेषण या प्राप्ति के तुरंत बाद, सेवाओं को शीघ्र और व्यवस्थित तरीके से समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और इस उद्देश्य के लिए व्यय को न्यूनतम रखने के लिए हर उचित प्रयास करेगा।

2.8.4 अनुबंध समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो सेवाओं के लिए भुगतान, पहले से प्रदान की गई सेवाओं के लिए, लागू जुर्माना और टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद, आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

3.0 विक्रेता के दायित्व

3.1 प्रदर्शन का मानक

विक्रेता, पेशेवर निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर इंजीनियरिंग और परामर्श मानकों के साथ प्रयुक्त सामान्यतः स्वीकृत तकनीकों और प्रथाओं के अनुसार, पूरी तत्परता, दक्षता और मितव्ययिता के साथ सेवाएँ प्रदान करेगा और अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, और सुदृढ़ प्रबंधन, तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रथाओं का पालन करेगा, तथा उपयुक्त उन्नत तकनीक, सुरक्षित और प्रभावी उपकरण, मशीनरी, सामग्री और विधियों का उपयोग करेगा। विक्रेता, इस अनुबंध या सेवाओं से संबंधित किसी भी मामले में, हमेशा एनएचबी के वफादार सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, और तृतीय पक्षों के साथ किसी भी लेन-देन में एनएचबी के वैध हितों का हर समय समर्थन और सुरक्षा करेगा।

3.2 कानूनों का अनुपालन

विक्रेता को इसे नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे सहित लागू कानूनों के अनुसार कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाने होंगे कि विक्रेता के कार्मिक/उप-ठेकेदार लागू कानूनों का अनुपालन करें।

3.3 हितों का टकराव

विक्रेता भविष्य के कार्य के लिए किसी भी विचार के बिना एनएचबी के हित को सर्वोपरि रखेगा, तथा अन्य कार्यों या अपने कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचेगा।

3.4 विक्रेता को कमीशन/छूट आदि का लाभ नहीं मिलेगा।

एनएचबी को विक्रेता द्वारा किया गया भुगतान, इस अनुबंध या सेवाओं के संबंध में विक्रेता का एकमात्र भुगतान होगा, तथा विक्रेता अपने लाभ के लिए इस अनुबंध या सेवाओं के अनुसरण में गतिविधियों के संबंध में या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई व्यापार कमीशन, छूट या समान भुगतान स्वीकार नहीं करेगा, तथा विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा कि उसके कार्मिकों को भी ऐसा कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त न हो।

3.5 विक्रेता और सहयोगी को परियोजना में अन्यथा रुचि नहीं होनी चाहिए/इससे लाभ नहीं होना चाहिए

विक्रेता इस बात से सहमत है कि इस अनुबंध की अवधि के दौरान और इसकी समाप्ति के बाद, विक्रेता इस परियोजना/असाइनमेंट से स्वयं के लिए और अपने किसी भी सहयोगी के लिए कोई कार्य/अवसर नहीं बनाएगा और/या इस असाइनमेंट के लिए खंड 4.2 में उल्लिखित पेशेवर शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने पर सहमति के अलावा, प्रत्यक्ष या अन्यथा कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

3.6 परस्पर विरोधी गतिविधियों का निषेध

विक्रेता और उसके सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी व्यावसायिक या व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो इस अनुबंध के तहत उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के साथ संघर्ष करती हो। प्रस्तावित असाइनमेंट के लिए सेवाएँ प्रदान करने हेतु नियुक्त विक्रेता और उसके सहयोगी बाद में उसी परियोजना के लिए प्रारंभिक असाइनमेंट से संबंधित सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएँगे।

3.7 गोपनीयता

विक्रेता और उसके कार्मिक, इस अनुबंध की अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद, एनएचबी की पूर्व लिखित सहमति के बिना परियोजना, सेवाओं, इस अनुबंध या एनएचबी के व्यवसाय या परिचालन से संबंधित किसी भी स्वामित्व या गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे।

विक्रेता और एनएचबी के बीच एक अलग गैर-प्रकटीकरण सह गोपनीयता समझौते ("एनडीए") पर हस्ताक्षर किए जाएँगे।

3.8 विक्रेता द्वारा लिया जाने वाला बीमा

विक्रेता को अपने खर्च पर सभी जोखिमों के लिए उचित बीमा लेना होगा और उसका रखरखाव करना होगा, तथा सभी कवरेज के लिए, जैसे कि श्रमिक क्षतिपूर्ति, असाइनमेंट पर सभी कर्मचारियों के लिए रोजगार देयता बीमा, व्यापक सामान्य देयता बीमा, जिसमें संविदात्मक देयता कवरेज शामिल है, जो विक्रेता या असाइनमेंट पर उनके कर्मचारियों की गलती के परिणामस्वरूप सेवाओं से उत्पन्न या उनके संबंध में किसी व्यक्ति को चोट लगने या किसी संपत्ति को होने वाली क्षति के लिए सभी क्षतियों, लागतों और शुल्कों और खर्चों के विरुद्ध दायित्व की क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

3.9 विक्रेता का दायित्व

विक्रेता इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं के निष्पादन के लिए एनएचबी के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसे निष्पादन में विक्रेता की चूक के परिणामस्वरूप एनएचबी को हुई किसी भी हानि के लिए, निम्नलिखित सीमाओं के अधीन:

- (a) विक्रेता और उसके कार्मिकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के किसी कार्य, उपेक्षा, चूक या चूक के कारण होने वाली किसी भी क्षति या चोट के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं होगा ; और
- (b) विक्रेता उन परिस्थितियों के कारण होने वाली या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिन पर विक्रेता का कोई नियंत्रण नहीं था।

3.10 विक्रेता द्वारा एनएचबी की क्षतिपूर्ति

विक्रेता एनएचबी को क्षतिपूर्ति करेगा और एनएचबी, उसके कर्मचारियों, कार्मिकों, अधिकारियों और निदेशकों को, इस अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, एनएचबी या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उठाए गए सभी नुकसानों, क्षति, चोटों, मृत्यु, व्यय, कार्रवाई, कार्यवाही, मांगों, लागतों और दावों, कानूनी फीस और खर्चों सहित, के खिलाफ पूरी तरह से और प्रभावी रूप से क्षतिपूर्ति करेगा, जहां इस तरह की हानि, क्षति, चोट (i) विक्रेता या उसके कर्मियों द्वारा किसी गलत कार्रवाई, लापरवाही या अनुबंध के उल्लंघन का परिणाम है; और/या (ii) विक्रेता या उसके कर्मियों की ओर से किसी लापरवाही या गंभीर कदाचार का परिणाम है; और/या (iii) एनएचबी के खिलाफ विक्रेता द्वारा तैनात कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई दावा; और/या (iv) रोजगार से

उत्पन्न कोई दावा, पारिश्रमिक का भुगतान न करना और विक्रेता द्वारा अपने कर्मचारियों को कानूनों/विभिन्न श्रम कानूनों के अनुसार लाभ प्रदान न करना; और/या (v) किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई या सभी डिलीवरेबल्स या सेवाएं; और/या (vi) खंड 3.7 और/या एनडीए के तहत उल्लिखित गोपनीयता दायित्वों का कोई उल्लंघन।

3.11 दायित्व की सीमा

- (i) इस परियोजना के एक भाग के रूप में उठाए गए दायित्वों के संबंध में विक्रेता की कुल देयता, चाहे वह इस परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो, चाहे ऐसी देयता को जन्म देने वाली कार्रवाई के रूप या प्रकृति की परवाह किए बिना (चाहे अनुबंध, अपकृत्य या अन्यथा), नीचे उप-खंड (ii) में उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा, कुल अनुबंध मूल्य के _____ गुना तक सीमित होगी।
- (ii) पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या विक्रेता द्वारा किए गए गोपनीयता दायित्वों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप एनएचबी के खिलाफ दावों के मामले में विक्रेता की देयता वास्तविक और असीमित होगी।
- (iii) किसी भी परिस्थिति में, एनएचबी इस अनुबंध की समाप्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, विशेष या अनुकरणीय क्षति के लिए विक्रेता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही उसे ऐसी क्षति की संभावना के बारे में सूचित किया गया हो।

3.12 विक्रेता की कार्रवाइयों के लिए स्वामी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है

विक्रेता, एनएचबी की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना, सेवाओं के किसी भी भाग के निष्पादन के लिए उप-अनुबंध नहीं करेगा। हालाँकि, विक्रेता सेवाओं के किसी भी भाग के निष्पादन के लिए कार्मिकों की सेवाएँ ले सकता है। इस अनुबंध के अनुसार, विक्रेता अपने कार्मिकों/उप-ठेकेदारों द्वारा सेवाओं के निष्पादन के साथ-साथ उप-ठेकेदारों की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए पूरी तरह उत्तरदायी रहेगा।

3.13 रिपोर्टिंग दायित्व

विक्रेता को एनएचबी को प्रस्ताव पत्र में निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें एनएचबी द्वारा अपेक्षित कोई भी सहायक डेटा शामिल होगा।

3.14 एनएचबी की संपत्ति के रूप में विक्रेता द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज :

सेवाएँ प्रदान करने में विक्रेता द्वारा तैयार/विकसित किए गए सभी सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज एनएचबी की संपत्ति बन जाएँगे और बने रहेंगे, और विक्रेता, इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद, ऐसे सभी दस्तावेजों को उनकी विस्तृत सूची सहित एनएचबी को सौंप देगा। विक्रेता ऐसे दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रख सकता है और एनएचबी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना इस अनुबंध से असंबंधित उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग नहीं करेगा।

3.15 विक्रेता के कर्मचारी

विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना/ अनुबंध में उसके द्वारा नियोजित कार्मिक/ कर्मचारी, आरएफपी में निर्धारित योग्यताएं और क्षमता रखते हों और सभी मामलों में एनएचबी को स्वीकार्य हों। विक्रेता विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि इस अनुबंध के तहत काम करने के लिए विक्रेता द्वारा चुने गए कर्मचारी अपना कार्यकाल पूरा करें। यदि ऐसा कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर विक्रेता को छोड़ देता है, तो विक्रेता एनएचबी को उसके स्थान पर एनएचबी को स्वीकार्य समान ज्ञान, कौशल और अनुभव वाला कोई अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।

विक्रेता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और विक्रेता द्वारा नियोजित कार्मिकों के संबंध में सभी लागू श्रम कानूनों और ऐसे अन्य कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा और वह नामांकित कार्मिकों के सभी कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और एनएचबी और विक्रेता द्वारा नियोजित कार्मिकों के बीच किसी भी उद्देश्य और किसी भी इरादे के लिए अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं होगी।

विक्रेता, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने द्वारा नियोजित अपने कार्मिकों/ कर्मचारियों के संबंध में आयकर और लागू कानूनों के अंतर्गत किसी भी अन्य वैधानिक कटौती के संबंध में उचित कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा। विक्रेता, इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु विक्रेता द्वारा नियोजित कार्मिकों/ कर्मचारियों से संबंधित अंशदान के संबंध में वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा एनएचबी के विरुद्ध किए जा सकने वाले किसी भी दावे के संबंध में एनएचबी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। एनएचबी, विक्रेता को किए गए भुगतानों के संबंध में लागू कानून/ नियमों के अनुसार आवश्यक स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

3.16 गैर-प्रतिस्पर्धा

विक्रेता इस अनुबंध की वैधता के दौरान तथा अनुबंध की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष तक एनएचबी के किसी भी कर्मचारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य के लिए न तो संपर्क करेगा और न ही कोई प्रस्ताव देगा।

3.17 स्वामित्व या संविधान में परिवर्तन:

विक्रेता अपने स्वामित्व या संविधान में किसी भी बदलाव के बारे में एनएचबी को तुरंत सूचित करेगा। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि एनएचबी के हितों की पूरी सावधानी से रक्षा की जाएगी। यदि एनएचबी विक्रेता के स्वामित्व या संविधान में बदलाव और/या नए मालिक से संतुष्ट नहीं है, तो एनएचबी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में, अनुबंध समाप्त होने पर भुगतान, यदि कोई हो, खंड 2.8.4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है।

3.18 निगरानी

एसएलए मापदंडों की निरंतर निगरानी की जाएगी। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय निष्पादन संतोषजनक नहीं होता है और यदि तत्काल उपाय लागू नहीं किए जाते हैं और एनएचबी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो एनएचबी को अनुबंध समाप्त करने सहित उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

3.19 पहुँच के अधिकार

आरएफपी द्वारा कवर किए गए किसी भी मामले से संबंधित विक्रेता के सभी रिकॉर्ड (डेटा, पुस्तकें, सूचना, लॉग, अलर्ट आदि सहित) एनएचबी को अपने अधिकृत कर्मियों सहित किसी भी

समय उपलब्ध कराए जाएंगे, जितनी बार एनएचबी आवश्यक समझे, ताकि सभी प्रासंगिक डेटा का ऑडिट, जांच और उद्धरण या प्रतिलिपि तैयार की जा सके।

एनएचबी, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे उसके विनियामक प्राधिकरण भी शामिल हैं, को अपने अधिकारियों या ऐसे अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से विक्रेता के स्थल पर या उस स्थान पर जहां विक्रेता द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, परियोजना की प्रगति को सत्यापित करने का अधिकार होगा।

एनएचबी और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे नियामक भी शामिल हैं, को विक्रेता के किसी भी परिसर का दौरा करने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएचबी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का दुरुपयोग न हो। विक्रेता को एनएचबी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करना होगा, जैसा भी मामला हो और एनएचबी/आरबीआई द्वारा आवश्यक सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

3.20 अंकेक्षण

विक्रेता एनएचबी, उसके अधिकृत कार्मिकों, उसके लेखा परीक्षकों (आंतरिक और बाह्य) और/या भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य विनियामक और वैधानिक प्राधिकरणों, और उनके अधिकृत कार्मिकों को अपनी पुस्तकों और खातों का निरीक्षण और/या लेखा परीक्षा करने, सेवाओं से सीधे संबंधित विक्रेता पर किए गए किसी भी लेखा परीक्षा या समीक्षा रिपोर्ट और निष्कर्षों की प्रतियां प्रदान करने का अप्रतिबंधित अधिकार देगा।

यदि किसी सेवा को आरएफपी के अनुसार अन्य विक्रेताओं को आउटसोर्स/सौंपा/उप-अनुबंधित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण और/या लेखा परीक्षा के लिए सभी संबंधित स्थानों तक पहुंच की अनुमति दी जाए।

3.21 आकस्मिक योजनाएँ

विक्रेता, एनएचबी को इस अनुबंध के अंतर्गत सेवाएं या उनका कोई भाग प्रदान करने में विक्रेता या विक्रेता के किसी कर्मचारी या उप-ठेकेदार के समक्ष आने वाली किसी अप्रत्याशित बाधा से निपटने के लिए उचित डेटा रिकवरी मैकेनिज्म, एट्रिशन प्लान और अन्य आकस्मिक योजनाओं की व्यवस्था और सुनिश्चित करेगा।

3.22 संक्रमण आवश्यकता

विक्रेता द्वारा सेवाएँ प्रदान करने में विफलता या अनुबंध की समाप्ति या अवधि की समाप्ति या अन्यथा की स्थिति में, किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एनएचबी अपने विवेकानुसार किसी अन्य विक्रेता के साथ सेवाओं का अनुबंध करवाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। ऐसी स्थिति में, एनएचबी से सूचना प्राप्त होने पर, विक्रेता अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करता रहेगा जब तक कि नया विक्रेता पूरी तरह से कार्य अपने हाथ में नहीं ले लेता। संक्रमण काल के दौरान, मौजूदा विक्रेता एनएचबी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर नए विक्रेता को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

4.0 एनएचबी के दायित्व

4.1 समर्थन:

एनएचबी अनुबंध के तहत कार्य पूरा करने के लिए विक्रेता को अपने सिस्टम में रखे गए प्रासंगिक और सीमित डेटा तक पहुंच प्रदान करने सहित, आवश्यकतानुसार आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

4.2 प्रतिफल एवं भुगतान शर्तें

इस समझौते के तहत विक्रेता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में, एनएचबी विक्रेता को ऐसे भुगतान करेगा और उसी तरीके से करेगा जैसा कि आरएफपी और/या एलओए में निर्दिष्ट किया गया है।

विक्रेता को एनएचबी को फर्म के मुद्रित बिल फॉर्म प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें भुगतान की मांग की गई अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख होगा। एनएचबी विक्रेता को आरएफपी में दी गई भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान करेगा। लेकिन यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है और सहमत कार्य कार्यक्रम/अनुसूची के अनुसार नहीं है, तो भुगतान रोका जा सकता है।

4.3 गैर-याचना :

एनएचबी इस समझौते के तहत विक्रेता द्वारा प्रदान/तैनात किसी भी कार्मिक को रोजगार के लिए प्रस्ताव नहीं देने के लिए सहमत है, और, जब तक वह इस समझौते की अवधि के अंतर्गत है, और एनएचबी के साथ इस समझौते के तहत काम के अंतिम असाइनमेंट की तारीख से बारह (12) महीने तक, उससे रोजगार के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

5.0 निष्पक्षता और सद्भावना

5.1 सद्भावना

इस अनुबंध के तहत एक दूसरे के अधिकारों के संबंध में पूरी निष्पक्षता और सद्भावना से कार्य करने तथा इस अनुबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय अपनाने का वचन देते हैं।

6.0 उपक्रम:

विक्रेता इसके अतिरिक्त यह भी वचन देता है:

- (i) विक्रेता ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और/या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण के सभी आवश्यक/प्रासंगिक और मौजूदा अनुदेशों/परिपत्रों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जीएफआर, सीवीसी के दिशा-निर्देशों और एनएचबी के मैनुअल/प्रासंगिक अनुदेशों के प्रावधानों को पढ़ लिया है, जो इस समझौते के तहत इसके कार्य/संचालन के दायरे/क्षेत्र और विक्रेता के रूप में इसके द्वारा दी जाने वाली सलाह/सेवाओं पर लागू होते हैं और यह ऐसी सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है/करेगा।
- (ii) विक्रेता के पास आरएफपी में विस्तार से निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार परियोजना पर कार्य करने और उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता है और वह एनएचबी को कुशल एवं प्रभावी सलाह/सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है। वह इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य को पूरी तत्परता और व्यावसायिकता एवं व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के साथ पूरा करेगा।

- (iii) एनएचबी का विक्रेता होने के नाते, यह (क) इस समझौते के तहत असाइनमेंट के किसी भी अनुचित निर्वहन और/या (ख) नैतिक व्यवसाय और व्यावसायिकता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किसी भी विचलित आचरण के लिए जवाबदेह होगा।
- (iv) एनएचबी को अपने विवेकानुसार ऐसी जवाबदेही लागू करने का पूरा अधिकार होगा यदि संविदात्मक दायित्वों का अनुचित निर्वहन होता है और/या एनएचबी के विचार में दी गई कोई सलाह/सेवा विक्रेता द्वारा घोर दोषपूर्ण/लापरवाह/कमीपूर्ण और/या कोई विचलित आचरण पाई जाती है और इसके परिणामस्वरूप, एनएचबी, यहां बताई गई किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जिसमें इस अनुबंध के तहत एनएचबी द्वारा विक्रेता को देय बकाया राशि को रोकना/रखना और एनएचबी को हुई हानि, यदि कोई हो, के लिए उसे एनएचबी से वास्तविक हानि साबित करने की आवश्यकता के बिना समायोजित करना शामिल है।
- (v) विक्रेता इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके हितों का टकराव हो और वह किसी भी प्रकार की सलाह या सेवा प्रदान करते समय हितों के टकराव की किसी भी संभावित घटना से पहले ही एनएचबी को अवगत कराएगा। इसके अतिरिक्त, विक्रेता को इस अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के अलावा, असाइनमेंट के संबंध में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। विक्रेता और/या उसका कोई भी सहयोगी ऐसे परामर्श या अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जो इस अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के टकराव में हों।
- (vi) विक्रेता को किसी ऐसे कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया है जो एनएचबी के प्रति उसके पूर्व या वर्तमान दायित्वों के साथ टकराव में हो या जो विक्रेता को एनएचबी के सर्वोत्तम हित में कार्य पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में डालता हो।
- (vii) विक्रेता हर समय एनएचबी के हित में कार्य करेगा और उच्चतम व्यावसायिक निष्ठा के साथ सलाह/सेवा प्रदान करेगा तथा परामर्श अनुबंध के प्रसंस्करण या निष्पादन/ विक्रेता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन से संबंधित किसी अन्य मामले की जांच करने वाले किसी भी वैध रूप से प्रदान/गठित जांच निकाय के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।
- (viii) इस समझौते के अंतर्गत कार्य के दायरे के संबंध में विक्रेता को OEMs के साथ उपयुक्त बैक-टू-बैक व्यवस्था/समझौते करने होंगे।
- (ix) एनएचबी को आपूर्ति श्रृंखला में सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित तीसरे पक्षों के बारे में विक्रेता से कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार सुरक्षित है।
- (x) इस अनुबंध/अनुबंध के निष्पादन के दौरान एकत्रित या संसाधित या संग्रहीत या विक्रेता या सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के ज्ञान में आने वाले सभी डेटा (एनएचबी और उसके ग्राहकों/घटकों से संबंधित) का विवरण प्रदान करेगा।

7.0 पृथक्करणीयता:

इस समझौते का प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से लागू करने योग्य है। यदि किसी कारणवश इस समझौते का कोई खंड लागू न हो पाता है, तो इससे अन्य खंडों की प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी।

8.0 विवादों का निपटारा

इस समझौते से उत्पन्न, इसके संबंध में या इसके उल्लंघन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, आपसी बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा। यदि, हालांकि, पक्षकार बिना किसी देरी के सौहार्दपूर्ण ढंग से उन्हें निपटाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा सुलझाया जाएगा। इस तरह की मध्यस्थता की सीट नई दिल्ली में होगी और कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एकमात्र यानी 1 (एक) मध्यस्थ शामिल होगा, जिसे पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पहली सिफारिश की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर नियुक्त किया जाएगा। यदि पक्षकार ऐसे एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, एकमात्र मध्यस्थ से युक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। इसके अनुसरण में दिया गया मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मध्यस्थता की सभी लागतें और व्यय, प्रथम दृष्टया, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे, हालांकि यह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा।

इसके बावजूद, यह सहमति हुई है कि विक्रेता मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस समझौते के तहत असाइनमेंट के लिए शेष कार्य जारी रखेगा, जब तक कि एनएचबी द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए या जब तक कि मामला ऐसा न हो कि मध्यस्थ का निर्णय प्राप्त होने तक कार्य को जारी रखना संभव न हो, जैसा भी मामला हो।

9.0 क्षेत्राधिकार और लागू कानून

इस समझौते से संबंधित सभी मामलों सहित यह समझौता, वर्तमान में लागू भारत के कानूनों (मूलभूत और प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा शासित होगा और नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने अपने-अपने नाम से इस करार पर ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को हैदराबाद में हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए और उसकी ओर से

द्वारा _____

अधिकृत प्रतिनिधि

[विक्रेता] के लिए और उसकी ओर से

द्वारा _____

अधिकृत प्रतिनिधि

गवाह:

1.

(नाम और पता)

2.

(नाम और पता)